झारखण्ड सरकार

स्वच्छता और मर्यादा के लिए सामुदायिक आंदोलन

निर्मल भारत अभियान

सफाई में भलाई

प्राक्कथन

पंचायत के चुने हुए सदस्यों की क्षमता विकास (Capacity Building) करना, हमारे लिये एक बड़ी चुनौती है। झारखण्ड में चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को अब पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का दायित्व लेना होगा एवं उनके लिए यह जरूरी है कि चुने हुए सदस्यों को हम यह बताएँ कि उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व क्या है?

इन कार्यक्रमों को पूरी तरह लोगों के लिए बनाने और समुदायों द्वारा चलाए जाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त गैर सरकारी संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं और महिला समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, स्वच्छता सामग्रियों की मांग को बढ़ावा देना, तकनीक में सुधार जैसे कार्य करने हैं, जिससे उपभोक्ताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट स्थानों पर (IEC) अभियान चलाए जाएँ।

समग्र स्वच्छता अभियान में पंचायतें और गैर सरकारी संस्थाएँ पहली कड़ी हैं। इनके लिए आवश्यक वास्तविकता यह है कि वे आवश्यक ज्ञान और क्षमता के साथ इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक करें। इसलिए एक पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे पंचायती राज संस्थाओं और स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे अन्य संगठनों की क्षमता को और प्रभावकारी बनाया जा सके। इसके द्वारा सामुदायिक रणनीति बनाने, कार्यक्रम क्रियान्वयन के तरीकों, निगरानी प्रक्रिया में सहभागिता, संसाधनों के उपयोग और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावकारी बनाने के अलावा इसी मुद्दे पर कार्य कर रही अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करने में सहायता मिलेगी।

मैं आश्वस्त हूँ कि यह पुस्तिका पंचायती राज संस्थाओं और अन्य मध्यस्थों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान द्वारा मर्यादा और स्वच्छता के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस संदर्भ में कोई सुझाव स्वागतयोग्य है।

दिनांक 15 अगस्त, 2011

सुधीर प्रसाद
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार

एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता

स्वच्छता सुविधाओं का अभाव एवं निम्न स्वास्थ्यकर आचरण, ग्रामीण क्षेत्रों में बार–बार फैलने वाली बीमारियों का प्रमुख कारण है। खुले में मलत्याग, बीमारियों के फैलने का सबसे अधिक खतरनाक मानवीय आचरण है। मुँह के रास्ते मल का प्रवेश बीमारियों के फैलने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है।

खुले में मलत्याग से मल संक्रमण का चक्र

इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए?

मानव मल के मुँह के रास्ते रोग संक्रमण की रोकथाम का सबसे सरल उपाय स्वच्छ शौचालयों का नियमित प्रयोग है। समुदाय में प्रत्येक परिवार स्वच्छ शौचालय का ही प्रयोग करे और इस प्रक्रिया में गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाएँ। परिवार अवश्य ही उपयुक्त स्वास्थ्यकर (व्यक्तिगत तथा घरेलू) आदत अपनाएँ और मानव मल का (नवजात शिशुओं तथा बच्चों के मल समेत) निपटारा शौचालयों में करते हुए वातावरण को साफ रखें। ऐसा करने पर मल एक ढके हुए गड्ढे में रहता है, जहाँ यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा मक्खियों, कीटों और पशुओं, जो जीवाणुओं को मल से भोजन तक फैला सकते हैं, से दूर रहकर विघटित होता है।

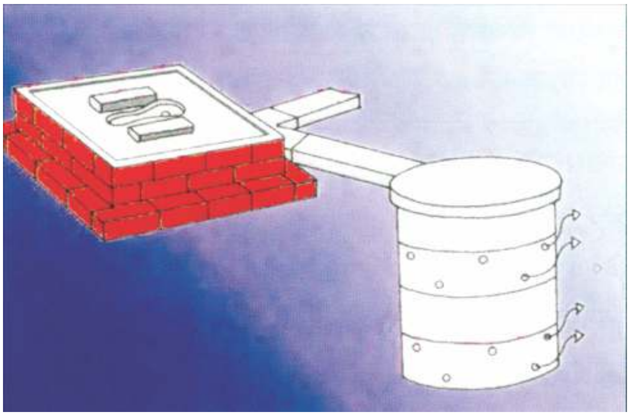
प्रशाखा युक्त एक गड्ढे वाला शौचालय जिसमें दूसरे गड्ढे के लिए प्रावधान है।

याद रखें, सिर्फ स्वच्छ शौचालयों का नियमित उपयोग ही एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित कर सकता है। परिवार जो 'अस्वच्छ' शौचालयों का प्रयोग करते हैं, जैसे जल अवरोध रहित शौचालय, जो ढके हुए जमीनी गड्ढे से जुड़े हैं, असुरक्षित हैं। अतः वैसे परिवार, जो 'अस्वच्छ' शौचालयों का उपयोग करते हैं, के लिए एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो।

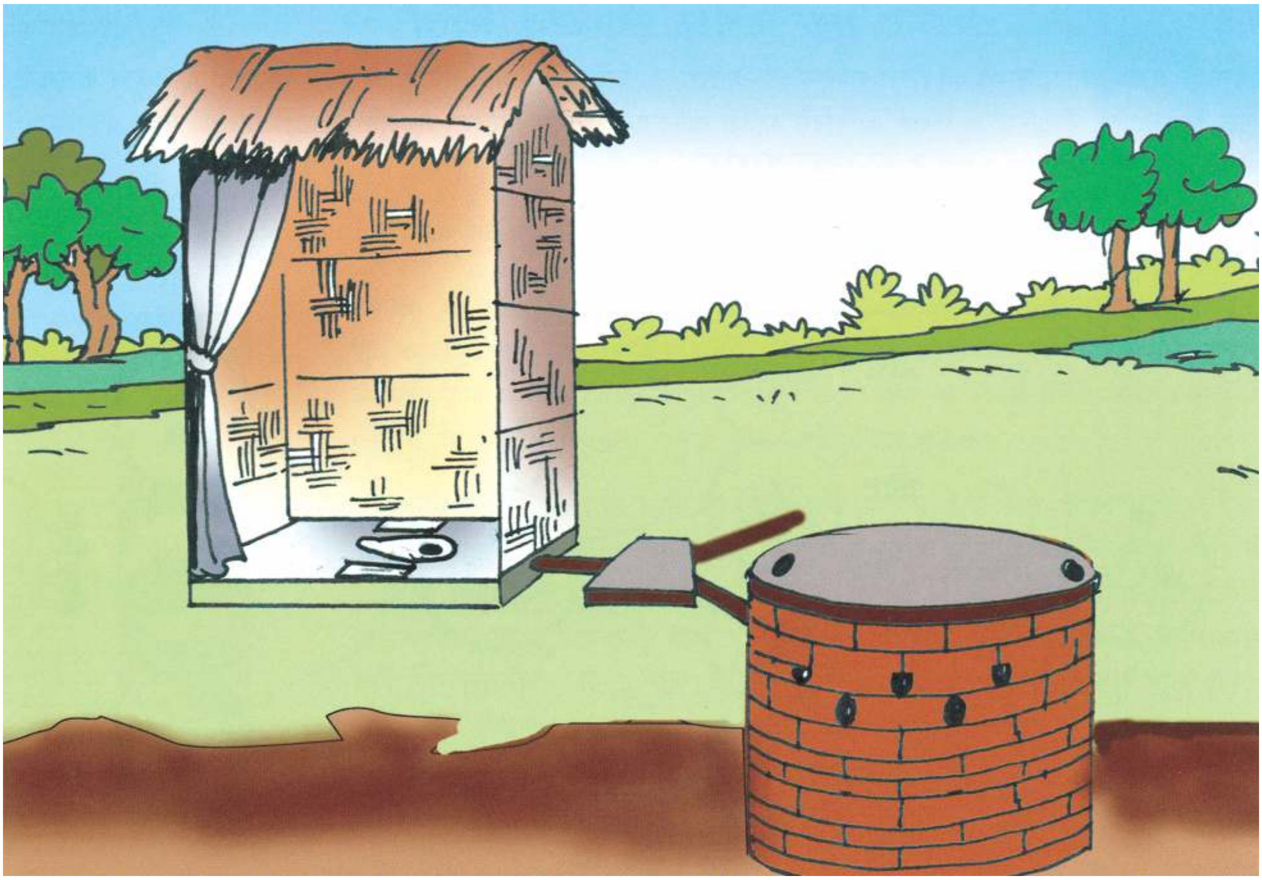

क्या करने की आवश्यकता है?

सुरक्षित स्वच्छता आचरण के लिए सामुदायिक लामबंदी (Comunity Mobilization), जहाँ समुदाय स्वयं ही स्वच्छता आंदोलन का नेतृत्व करें।

पंचायतों की भूमिका

लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में यह पंचायतों का उत्तरदायित्व है, कि वे स्वच्छ शौचालय अपनाने तथा उसके उपयोग के लिए लोगों को लामबंद करें आर वातावरण साफ रखें।

पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह चुने हुए जनप्रतिनिधि का कर्त्तव्य है कि वे जल तथा स्वच्छता सुविधाएँ अपनाने में लोगों की सहायता करें। स्वस्थ समाज सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रोत्साहन राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। पंचायत जमीनी स्तर पर कार्य के द्वारा इसको संपूर्ण करें तथा स्वास्थ्य परिणामों की प्राप्ति के लिए सुरक्षित वातावरण तथा संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करें।

पंचायतों से क्या अपेक्षा की जाती है?

खुले में मलत्याग की आदत छोड़ने के लिए परिवारों को प्रेरित कर सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया का समर्थन करें तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्यकर व्यवहार का पालन करें, जिससे व्यक्तिगत, परिवार तथा समुदाय को लाभ हो।

कैसे?

सर्वप्रथम, पंचायत सदस्य स्वयं ही यह विश्वास रखें कि सामुदायिक लामबंदी–

- ❖ बगैर किसी सहायता के प्रत्येक घर के लिए स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता हो।
- ❖ घरेलू स्वच्छ शौचालय, समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनिवार्य है।
- ❖ यह निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कर्त्तव्य है कि समुदाय के सदस्यों को विश्वास दिलाएँ कि प्रत्येक परिवार के पास स्वच्छ शौचालय हो। निर्वाचित प्रत्येक पंचायत सदस्य के पास दूसरों को उदाहरण देने हेतु स्वयं का स्वच्छ शौचालय हो और वे उसका उपयोग करें।

दूसरे – पंचायत अवश्य ही यह विश्वास रखें कि

- ❖ सामाजिक उत्तरदायित्वों का निष्पादन करते हुए व्यक्तिगत लाभ की कोई अपेक्षा न रहे।
- ❖ पंचायतों के मुख्य उत्तरदायित्व हैं– (1) समुदाय की लामबंदी और (2) घरों, विद्यालयों, आँगनबाड़ी तथा सार्वजनिक स्थलों में शौचालयों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों तथा स्वच्छता सामग्रियों के विक्रेताओं के साथ संपर्क स्थापित करना। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीकों तथा सुरक्षा मापदण्डों की भी जानकारी होनी चाहिए।

तीसरे – पंचायतों को अवश्य ही यह विश्वास होना चाहिए कि यदि बाहरी सहायता आसानी से उपलब्ध न हो फिर भी

- ❖ लोगों को घरेलू स्वच्छ शौचालयों में धन के निवेश के लिए ही लामबंद किया जाना चाहिए।
- ❖ सम्पूर्ण स्वच्छता उतना ही सामुदायिक उत्तरदायित्व है, जितना यह घरेलू उत्तरदायित्व। सम्पूर्ण स्वच्छता में कमी रह जाने की स्थिति में समुदाय एक साथ बैठकर हल निकालें। पंचायत सदस्य स्वच्छता में कमी के कारणों की पहचान कर, अपने गाँव के लिए एक अच्छी स्वच्छता योजना बनाएँ, राशि इकट्ठी कर उन घरों की सहायता करें जो समुदाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

जिला प्रखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों को ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं का नेतृत्व, उत्तम उदाहरण तथा लोक चेतना का सृजन करके करना है।

आवश्यक कदम क्या है?

- ❖ पंचायत सदस्यों के बीच विश्वास दृढ़ करना, भूमिका तथा उत्तरदायित्व निश्चित करना एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य का बँटवारा

- ❖ सामुदायिक स्तर पर चेतना उत्पन्न करना, समुदाय को शौचालयों के लाभ के विषय में जानकारी देना, इनकी रूपरेखा तथा लागत की जानकारी देना,
- ❖ ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- ❖ ग्राम स्तर पर घरेलू शौचालयों तथा स्वच्छ वातावरण के लिए सामुदायिक आंदोलन को प्रेरित करना।

जिला स्तर पर

जिला परिषद् अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए पंचायतों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व के संबंध में जिला परिषद् सदस्यों की सभा बुलाएँ। यह प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना महत्वपूर्ण है, कि पी.आर.आई सदस्य पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए वचनबद्ध हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि शौचालयों की निर्माण प्रक्रिया में पी.आर.आई सदस्यों की संलग्नता जरूरी है। वास्तव में यदि पी.आर.आई सदस्य शौचालय निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होते हैं, तो यह हितों के टकराव की स्थिति को जन्म दे सकता है। यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यहाँ इस कार्य से वित्तीय लाभ की कोई अपेक्षा न हो। इस कार्य को सामुदायिक हित की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाना चाहिए।

नीचे दिया गया विवरण त्रिस्तरीय पंचायतों के मासिक क्रिया-कलाप को स्पष्ट करता है।

पी.आर.आई सदस्यों का जिला स्तरीय उन्मुखीकरण

- ❖ सामुदायिक नेतृत्व वाले स्वच्छता के सिद्धांत
- ❖ पी.आर.आई सदस्यों के रूप में उत्तरदायित्व
- ❖ स्वच्छ शौचालयों और उत्तम स्वास्थ्य के बीच संबंध, उपयुक्त तकनीक तथा शौचालय की लागत के विषय जानकारी
- ❖ कार्य क्षेत्र तथा संसाधनों का निर्धारण एवं योजनाओं का सूत्रण
- ❖ सामुदायिक लामबंदी कैसे की जाए
- ❖ व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए
- ❖ सामुदायिक लामबंदी : कार्य योजना
- ❖ वितरण तंत्र : कार्य योजना

सहभागी : जिला पंचायत सदस्य, प्रखण्ड पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, एन.जी.ओ./सी.बी.ओ.

पी.आर.आई. सदस्यों का प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण

- सामुदायिक नेतृत्व वाले स्वच्छता के सिद्धांत
- पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कर्त्तव्यों पर ग्राम पंचायत सदस्यों का उन्मुखीकरण
- स्वच्छ शौचालय के उपयोग से स्वास्थ्य के संबंध पर जानकारी देना
- सामुदायिक लामबंदी : कार्य योजना
- सामुदायिक लामबंदी : कैसे की जाए
- व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए
- मूलभूत आंकड़े : ग्राम पंचायत आधार पर परिवारों की संख्या (और वे परिवार जिनके पास शौचालय नहीं है)
- राजमिस्त्रियों की सूची (सम्पर्क फोन नं.) इत्यादि
- लामबंदी के लिए आवश्यक सामग्रियों के खुदरा व्यापारियों, हार्डवेयर आपूर्तिकर्त्ताओं तथा कलाकारों की सूची

सहभागी : उत्तरदायी जिला परिषद् सदस्य, प्रखण्ड पंचायत प्रमुख और सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य

पी.आर.आई सदस्यों का ग्राम पंचायत स्तरीय उन्मुखीकरण

- सामुदायिक नेतृत्व वाले स्वच्छता के सिद्धांत
- पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कर्त्तव्यों पर वार्ड सदस्यों का उन्मुखीकरण
- स्वच्छ शौचालय क्या है?
- स्वास्थ्य के साथ उसका क्या संबंध है?
- स्वच्छ शौचालय की लागत क्या है?
- वार्ड में कितने परिवार हैं? कितने परिवारों के पास शौचालय नहीं है?
- लोग स्वच्छ शौचालय का उपयोग क्यों नहीं करते हैं?
- क्या उन्हें स्वास्थ्य लाभों की जानकारी है? क्या वे अपनी महिलाओं की मर्यादा के प्रति संवेदनशील है?
- स्वच्छ शौचालय के उपयोग को लेकर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अक्षमता या अनिच्छा समूचे समुदाय को खतरे में डालती है तथा शर्मिंदा करती है
- यदि व्यक्ति असहाय है, तो क्या समुदाय सहायता कर सकता है?
- यदि बाहरी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है तो क्या समुदाय इंतजार करेगा? कब तक?

सहभागी : उत्तरदायी जिला परिषद् सदस्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, प्रखण्ड पंचायत, वार्ड सदस्य, एनजीओ/सीबीओ, शिक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा कार्यकर्त्ता

पी.आर.आई. सदस्य यह सुनिश्चित करें कि (1) समुदाय को स्वच्छ शौचालयों को अपनाने के लिए लामबंद किया जाता है। (2) जब एक घर व्यक्तिगत तौर पर या समुदाय सामूहिक तौर पर स्वच्छ शौचालय में निवेश करने का इच्छुक है तब सेवाएँ उनकी दहलीज पर उपलब्ध हों। पंचायत यह भी सुनिश्चित करें कि गुणवत्तायुक्त सेवाएँ उपलब्ध हों।

जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है, सामुदायिक लामबंदी या आंदोलन की प्रक्रिया को सहायता की आवश्यकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक जिला परिषद् सदस्य अपने निर्वाचित क्षेत्र में प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। प्रखण्ड प्रमुख अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन का नेतृत्व करेंगे। उन्हें आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिये जिला परिषद् के सदस्य या तो व्यक्तिगत तौर पर या फिर समूह में एक प्रखण्ड का उत्तरदायित्व लेंगे। यदि जिला परिषद् अध्यक्ष को उपयुक्त लगे, तो किसी भी जिला परिषद् सदस्य को एक से अधिक प्रखण्ड के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। उत्तरदायित्वों के बँटवारे को नीचे स्पष्ट किया गया है।

जिला परिषद् सदस्य का नाम	प्रखण्ड का नाम	सम्पर्क फोन नं.	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या	परिवार जहाँ शौचालय नहीं हैं

इस चरण में जिले के लिए विक्रेताओं और राजमिस्त्रियों की सूची पर निर्णय करना है जो इस प्रकार है।

क्रम सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राजमिस्त्री का नाम	सम्पर्क फोन नं.	हार्डवेयर खुदरा व्यापारी/ आपूर्तिकर्त्ता	सम्पर्क फोन नं. संख्या
1.					
2.					
3.					
4.					

प्रखण्ड स्तर पर –

ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार करने के उपरांत इन योजनाओं को प्रखण्ड स्तर पर विवेचन किया जायेगा। इन जानकारियों का उपयोग सामुदायिक लामबंदी के कार्य में किया जाएगा और इनकी निगरानी ग्राम वार्ड तथा पंचायत द्वारा दी जायेगी। इस चरण में मुख्य काम घरों में घरेलू शौचालय की उपलब्धता और उपयोग के मूलभूत आंकड़ों को इकट्ठा करना है, जो इस प्रकार है :

क्रम सं.	ग्राम पंचायत का नाम	परिवारों की कुल संख्या	परिवार जिनके पास शौचालय हैं		परिवार जिनके पास शौचालय नहीं हैं
			स्वच्छ शौचालय	अस्वच्छ शौचालय	

स्वच्छ शौचालय : जल अवरोधक शौचालय जो ढके हुए गड्ढे से जुड़ा है।

प्रखण्ड स्तरीय फोरम ग्राम से ली गई सूचनाओं को आपस में बांटने का मंच भी होगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष समुदाय के सदस्य और अन्य कार्यकर्त्ता, जो सामुदायिक लामबंदी के लिए कार्य कर रहे होंगे, वे प्रखण्ड स्तर पर अपने अनुभव बाँटेंगे। इन जानकारियों के आधार पर सामुदायिक लामबंदी पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर

सामुदायिक नेतृत्व वाले स्वच्छता के बीज ग्राम पंचायत स्तर पर बोये जाते हैं। इस स्तर पर समुदाय को स्वच्छता और स्वास्थ्य मर्यादा तथा एकान्तता, शौचालय उपयोग के लाभ, शौचालय की लागत और एक शौचालय की सुविधा कैसे हासिल करें जैसे विषय के प्रति जागरूक बनाने के लिए जनसम्पर्क गतिविधियाँ चलाने की आवश्यकता है। पी.आर.आई. सदस्य नागरिकों के साथ जागरूकता उत्पन्न करने वाली योजनाओं का निष्पादन कर सकते हैं।

स्वप्रेरित नागरिकों का समूह कैसे बनाया जाए ?

कार्यप्रणाली पूरी तरह से पी.आर.आई सदस्यों पर छोड़ दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य और महिलाओं की मर्यादा की रक्षा मुख्य मुद्दा है। जिन पर इस अपील का असर होगा, वे आगे आएंगे। आंदोलन का चरम लक्ष्य सभी को सम्पूर्ण स्वच्छता के सामूहिक लक्ष्य के लिए शामिल करना और संलग्न करना होगा।

सामुदायिक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करें। समुदाय को शौचालयों के लाभ और रूपरेखा, शौचालयों की लागत और शौचालयों/राजमिस्त्री की उपलब्धता के विषय जानकारी दें।

जागरूकता उत्पन्न करने सम्बन्धी जानकारी नीचे दी गई है।

सर्वप्रथम, शौचालय के नियमित प्रयोग संबंधी स्वास्थ्य लाभों के विषय में समुदाय को जागरूक तथा संवेदनशील करना महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छता लाभ के अलावा समुदाय को अन्य लाभों जैसे एकान्तता और महिलाओं की मर्यादा, बुजुर्गों की सुविधा के प्रति जागरूक बनाना चाहिए।

दूसरे, समुदाय को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, कि कुछ एक परिवारों द्वारा स्वच्छ शौचालयों को अपनाने से बीमारियों का फैलाना नहीं रूकेगा। समुदाय को बीमारियों के फैलाव से मुक्त करने के लिए प्रत्येक परिवार के पास शौचालय हो और प्रत्येक सदस्य शौचालय का उपयोग करे।

तीसरे, समुदाय अवश्य ही पर्याप्त स्वास्थ्यकर आचरण का पालन करे। बच्चों समेत परिवार के सभी सदस्य मलत्याग के बाद तथा भोजन के पूर्व साबुन से हाथ अवश्य ही धोएं। नवजात बच्चों का मल निपटारा स्वच्छ शौचालयों में किया जाए, उन्हें खुले नाले में नहीं फेंका जाए।

चौथे, शौचालयों का निर्माण प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों द्वारा उचित फिटिंग के साथ अच्छी तरह किया जाना चाहिए। यह शौचालयों के आसान रख–रखाव में सहायक होगा। बहाने के लिए एक लीटर पानी उन्हें साफ रखने के लिए पर्याप्त है।

पाँचवें, वातावरण अवश्य ही स्वच्छ रखें। अपशिष्ट (गंदगी) के निपटारे के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। तरल तथा ठोस अपशिष्टों के निपटारे के लिए क्रमशः सोख्ता तथा कचरे का गड्ढा होना चाहिए।

हाथ धोने के पाँच चरण

1. पहले अपने हाथों को गीला कर साबुन लगाए
2. दोनों हथेलियों को एक साथ अच्छी तरह रगड़ें
3. हथेली को और हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ें
4. अब अपनी उंगलियों का प्रयोग हथेली तथा नाखून को साफ करने के लिए करें।
5. दोनों हाथों को पानी से धोएं

घरेलू शौचालय तथा स्वच्छ वातावरण के लिए सामुदायिक आंदोलन का नेतृत्व करें।

परिणामों की प्राप्ति तक नियमित आधार पर अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। जब समुदाय उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए तब परिणाम मिल जाएंगे। अतः पहली जिम्मेवारी समुदाय की ही बनती है।

इस कार्य हेतु समुदाय की रुचि एवं प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिये पंचायतों को नियमित आधार पर समुदाय के साथ सम्पर्क में रहना होगा। पंचायत सामुदायिक स्तर की गतिविधियों में नियमित दिलचस्पी लेंगे और सूचना उपलब्ध कर प्रक्रिया की सहायता करेंगे। परिवारों के पास अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने का एक मंच होना चाहिए और पंचायतों को इसका समाधान ढूँढना चाहिए। हरेक चरण में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के सक्षम अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि समुदाय का उत्साह और प्रतिबद्धता जारी रहे।

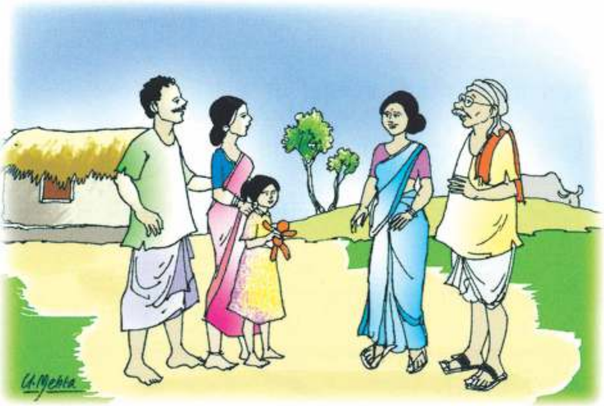

जब तक प्रत्येक परिवार के पास अपना शौचालय न हो और वे इसका उपयोग तथा रख–रखाव न करने लगे, तब तक लामबंदी गतिविधियाँ जारी रखनी चाहिए। जिला टी.एस.सी. कोष से सहायता लेने के लिए इन अभियानों को चलाने में लगने वाली राशि की योजना बननी चाहिए।

सामुदायिक आंदोलन शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता सहभागिता है। गाँव में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जल सहिया एवं वार्ड सदस्य नेतृत्व करेंगे। ग्राम प्रधान सामुदायिक आंदोलन के प्रोत्साहन के लिए अपने साथ कार्य करने के लिए व्यक्तियों की खोज करेंगे। वार्ड सदस्य वैसे परिवारों की पहचान और लामबंदी करेंगे जो नयी आदतों को अपनाने और उदाहरणपूर्वक नेतृत्व करने को तत्पर हैं। इन परिवारों को शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग और दूसरे को भरोसे में लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

सामुदायिक लामबंदी के लिए बनाया गया समूह प्रत्येक परिवार के साथ सम्पर्क में रहे और प्रत्येक परिवार को ग्रामस्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए विश्वास में ले (देखें, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)। इन बैठकों के उद्देश्य को सरल तथा स्पष्ट भाषा में बताया जाना चाहिए।

उद्देश्य : लोगों को अपने स्वास्थ्य और वातावरण की सुरक्षा के साथ–साथ समुदाय की मर्यादा की रक्षा के लिए निर्णय लेना है। प्रत्येक परिवार के पास अपना स्वच्छ शौचालय हो और इसका प्रयोग करें।

आने वाले वर्षों में पारिवारिक स्वास्थ्य खर्च में कमी और बढ़ती बचत के साथ अपने पास शौचालय होने के लाभों की अनुभूति करेंगे। हो सकता है शुरुआत में सम्पूर्ण सहभागिता न हो। जनसंख्या का एक हिस्सा अनिच्छुक रहेगा। अतः लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

गाँव की 70 प्रतिशत या उससे अधिक की आबादी इकट्ठी होने पर समुदाय द्वारा गाँव की स्वच्छता तथा वातावरण की स्थिति का सहभागितापूर्वक मूल्यांकन करना है। इस सहभागितापूर्ण मूल्यांकन में ये बातें होंगी –

गाँव के नक्शे में निवास स्थान को दर्शाता सामाजिक नक्शा, जिसमें इन चीजों की पहचान की गई है।

- ❖ घरों की आर्थिक स्थिति (सम्पत्तियों का मालिकाना हक)
- ❖ घरेलू शौचालय है या नहीं
- ❖ खुले में मलत्याग के क्षेत्र

- ❖ गाँव में जल स्रोत (तालाब, झरने, नदियाँ)
- ❖ गाँव की स्थिति में पेयजल के स्रोत
- ❖ ठोस अपशिष्ट, गंदगी का गाँव में इकट्ठा होना (घरों के संदर्भ में)
- ❖ तरल अपशिष्ट या स्थिर जल स्रोतों का गाँव में जमा होना (घरों के संदर्भ में)

सामाजिक नक्शे का प्रारूप

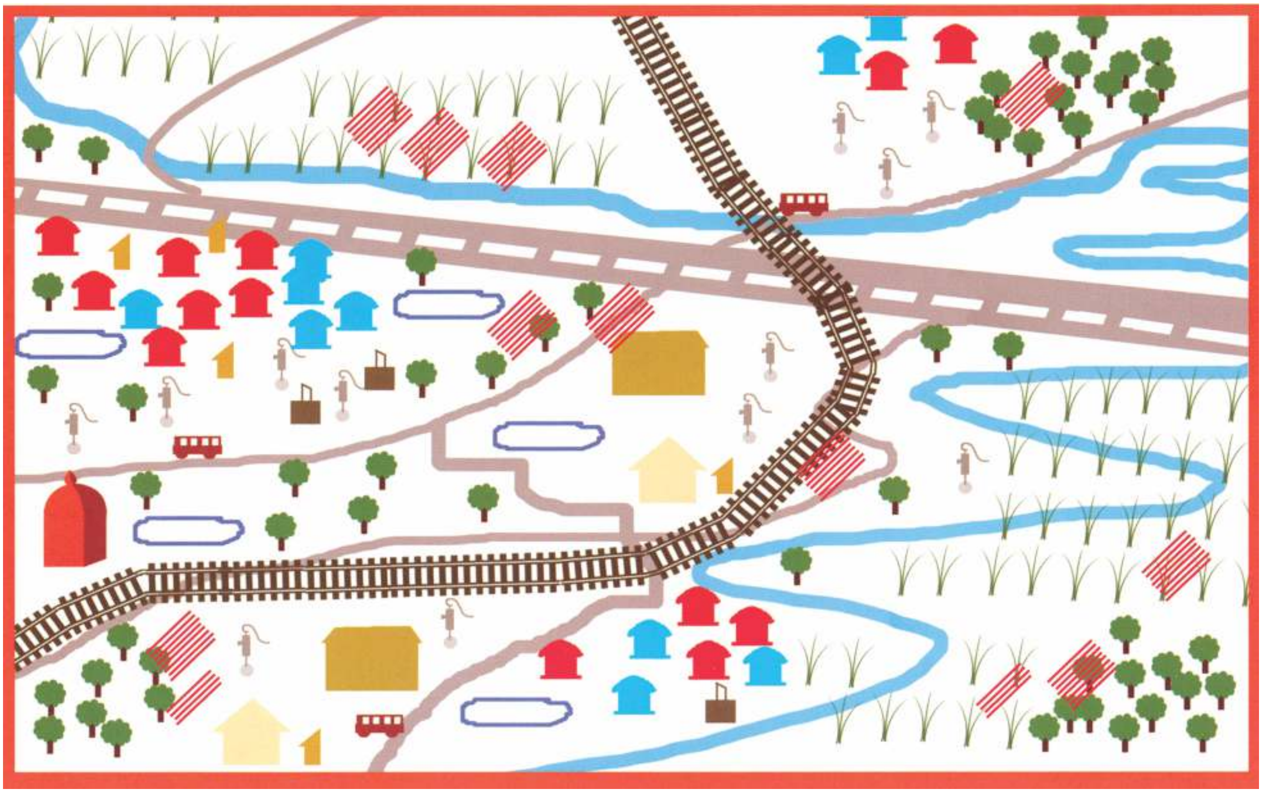

शीर्षक

	धान के खेत (खुली जगह)		सड़क
	वन (खुली जगह)		चापाकल
	HH (जिनके पास शौचालय है)		तालाब
	HH (जिनके पास शौचालय नहीं है)		कुंआ
	रेल लाईन		खुले में मलत्याग का क्षेत्र

गाँव के घरों की स्वच्छता स्थिति पर एक डाटाबेस

ग्राम पंचायत का नाम : **जल सहिया का नाम :**

ग्राम पंचायत अध्यक्ष का नाम :

गाँव का नाम :

वार्ड सदस्य का नाम :

क्रम सं.	घर के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्यों की संख्या	परिवार के नियोजित (रोजगार) सदस्यों की संख्या	कुल पारिवारिक आय	एपीएल/बीपीएल	बीपीएल पहचान हाँ/नहीं	घरेलू शौचालय		शौचालय के लिए इच्छुक हैं		कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं		कीमत चुकाने के लिए क्यों तैयार हैं		परिवार किस प्रकार नवजात बच्चों के मलमूत्र का निपटारा करता हैं	
							हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	सरकारी आर्थिक सहायता का इंतजार करेंगे	अक्षम हैं		
1	2	3	4	5	6	7	(8a)	(8b)	(9a)	(9b)	(10a)	(10b)	(11a)	(11b)	(12a)	(12b)

- वार्ड सदस्य द्वारा यह सूचना प्रत्येक राजस्व ग्राम से इकट्ठी कर सुरक्षित रखी जाएगी। कॉलम 11a एवं 11b आवश्यक सामुदायिक कार्यों का नेतृत्व करेंगे।
- क्या परिवार को सचमुच में सहायता/आंशिक सहायता की आवश्यकता है? क्या समुदाय के अन्य सदस्यों की आंशिक सहायता से परिवार स्वच्छ शौचालय हासिल कर पायेगा?
- क्या परिवार समुदाय के अन्य सदस्यों से ऋण लेकर उसे किश्तों में चुकाने में समर्थ हो पाएगा? इन सारे प्रश्नों को समुदाय द्वारा पूछे जाने की आवश्यकता है उत्तर भी समुदाय से ही आएंगे
- जनसम्पर्क अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह पूछें–
  - क्या परिवार को शौचालय के उपयोग की महत्ता की जानकारी है?
  - शौचालय का प्रयोग महत्वपूर्ण क्यों है?
  - बच्चों (पाँच वर्ष से कम) के मल का निपटारा कैसे करते हैं?
  - हाथ साबुन से धोना कब महत्वपूर्ण है?

समुदाय को अनिवार्यतः घरों से सम्बंधित जानकारी का ज्ञान रहता है अतः समुदाय घरेलू स्तर की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर सकता है

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो समुदाय को समझना आवश्यक है कि जब तक प्रत्येक घर, धनी या निर्धन, के पास स्वच्छ शौचालय न हो, वातावरण खुले में मलत्याग से मुक्त न हो – समुदाय पर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः यह समुदाय के ऊपर है कि वह गाँव के वातावरण तथा स्वच्छता की स्थिति के अनुरूप प्रतिक्रिया करे।

घरेलू स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए कोई सरकारी सहायता है ?

हाँ, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन संयुक्त रूप से भारत सरकार तथा राज्य सरकार करती है। जिसका लक्ष्य राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में घरेलू शौचालयों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य संस्थाओं, जैसे विद्यालयों और आँगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों के उपयोग का प्रोत्साहन भी है। इस प्रक्रिया में ग्रामीण, क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त रहते है।

टी.एस.सी. के प्रावधान क्या हैं ?

सम्पूर्ण अभियान या टी.सी.सी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है। टी.एस.सी. का मुख्य लक्ष्य है घरेलू तथा संस्थागत (विद्यालय तथा आँगनबाड़ी) स्वच्छता तथा समुदाय की स्वास्थ्यकर आदतों को प्रोत्साहित करना। गाँव खुले में शौच से मुक्त हैं, यह सुनिश्चित करना टी.एस.सी का चरम लक्ष्य है, जिसके परिणामस्वरूप जलवाहित बीमारियों का फैलाव सीमित होता है जिससे समुदाय के स्वास्थ्य संकेतक में सुधार आता है।

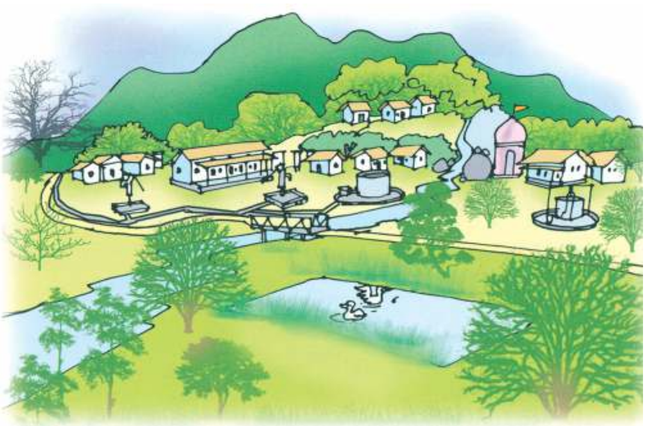

टी.एस.सी. के अंतर्गत गरीब परिवारों या बी.पी.एल. (गरीब रेखा के नीचे) के परिवारों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है, जो एक घरेलू स्वच्छ शौचालय बनाना चाहते हैं। एक बीपीएल परिवार 3200/– रुपये की प्रोत्साहन राशि का हकदार है (भारत सरकार के हिस्से की राशि 2000/– और राज्य सरकार के हिस्से की राशि 1200/– रुपये लाभान्वित होने वाले घर को 300/– रुपये देने होते हैं।

बजट लाईन के अनुसार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के विशिष्ट कार्यक्रम के घटक :

- **शुरुआती गतिविधियाँ** : जनसंख्या की स्वच्छता स्थिति पर आधारभूत आंकड़े जिला स्तर पर इकट्ठा किए जाते हैं। जिला स्वच्छता इकाई का कार्यालय सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन के लिए आधारभूत जानकारी और सूचनाओं से युक्त किया जाता है।
- **बीपीएल परिवारों के लिए प्रोत्साहन राशि** : टी.एस.सी. के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL) की प्रोत्साहन राशि 3200/– रुपये है बीपीएल परिवारों को दी जानी है। ए.पी.एल. परिवारों के लिये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान नहीं है, किंतु उन्हें तकनीकी सहायता एवं ग्रामीण स्वच्छता मार्ट (Rural Sanitary Mart) की सुविधा उपलब्ध है।

- **ग्रामीण स्वच्छता मार्ट** : प्रत्येक प्रखण्ड में एक ग्रामीण स्वच्छता मार्ट है, जहाँ पर स्वच्छता संबंधी सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।

- **विद्यालय स्वच्छता** : प्रत्येक विद्यालय के बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना है। विद्यालय शौचालय ब्लॉक के लिए इकाई लागत 35000/– है। सह शिक्षा विद्यालयों में दो पृथक इकाई (बालक तथा बालिकाओं प्रत्येक के लिए एक) नियम–सम्मत अधिकार के तहत उपलब्ध कराना चाहिए। आदर्शतः इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से किया जाना चाहिए। जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी को सभी स्तरों में योजना बनाने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन कार्यक्रम में संलग्न होने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान की संलग्नता का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय के शिक्षक विद्यालय के शौचालय ब्लॉक के नियमित उपयोग तथा रख–रखाव के प्रति प्रतिबद्ध रहें।

- अंत में विद्यालय के शौचालय का रख–रखाव अच्छे तरीके से हो, इसके लिए विद्यालय के शौचालय में बहते जल का प्रावधान होना चाहिए। मौजूदा चापाकलों को फोर्स एंड लिफ्ट पंप से जोड़कर शौचालय के अंदर बहता जल उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपयुक्त चापाकल (फोर्स एंड लिफ्ट पंप से जोड़ने के लिए) उपलब्ध न हो तो इसे लगा लें।

- विद्यालयों में 35,000/– रुपये के शौचालय ब्लॉक के नियमित उपयोग तथा रख–रखाव सुनिश्चित करने के लिए यह उचित है कि विद्यालय में निरंतर जल के प्रबंध के लिए चापाकल में फोर्स एंड लिफ्ट पंप जोड़ने के लिए 5,000/– से 10,000/– रुपये का निवेश किया जाए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जलापूर्ति के लिए तुरंत राशि होने की स्थिति में राशि अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे नरेगा, बी.आर.जी.एफ. इत्यादि से ली जा सकती है।

- **आँगनबाड़ी स्वच्छता** : आँगनबाड़ी शौचालय के लिए एक मानक डिजाइन और 8,000/– की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध है। वैसे, इसकी जाँच करना महत्वपूर्ण है कि क्या आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास निरंतर जलस्रोत है। यदि आँगनबाड़ी केन्द्र में क्रियाशील जल स्रोत नहीं हो तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) से इसके लिए राशि ली जा सकती है। वैकल्पिक तौर पर पंचायत भी 12वें वित्त आयोग कोष से आँगनबाड़ी केन्द्र को चापाकल उपलब्ध करा सकते हैं। जल स्रोत के बगैर आँगनबाड़ी के शौचालय का उपयोग नहीं होगा और वे निष्क्रिय हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखा जाए कि आँगनबाड़ी शौचालय में सिर्फ बच्चों का पैन मुहैया कराया जाए वयस्कों का पैन नहीं।

- आँगनबाड़ी शौचालय के नियमित इस्तेमाल और उपयोगकर्त्ताओं द्वारा रख–रखाव सुनिश्चित करने के लिये आँगनबाड़ी पर्यवेक्षकों, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं और कम उम्र की माताओं/बच्चों को जो आँगनबाड़ी आते हैं को उचित रूप से संवेदनशील किया जाए। स्पष्टतया यह एक बार संवेदनशील बनाने का कार्य नहीं होगा। पंचायतें, आँगनबाड़ी केन्द्रों में अवश्य ही जाएं और आगन्तुकों तथा सेवा मुहैया कराने वालों से शौचालय उपयोग के लाभ के संबंध में सलाह करें और नियमित अंतराल पर शौचालय के प्रयोग की कठिनाइयों या लाभ पर उनसे जानकारी लें।

- आँगनबाड़ी एक जगह है, जहाँ कम उम्र बच्चे अपनी शौचालय की आदत का विकास करेंगे। अतः आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को, माताओं को बच्चों के मल को पोट्टी तथा शौचालय मे सुरक्षित निपटारे के विषय में जागरूक बनाने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए।

❖ **सामुदायिक शौचालय/बाजार स्थल में शौचालय** : सामुदायिक शौचालय, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) का महत्वपूर्ण घटक है। उचित संख्या में शौचालय, नहाने के कमरे, धोने के प्लेटफॉर्म, वाश–बेसिन इत्यादि से इन परिसरों को गाँव में ऐसी जगह स्थापित किया जा सकता है, जो महिलाओं/पुरुषों/भूमिरहित परिवारों को स्वीकार्य हो तथा सुगम्य हो। इन परिसरों का रख–रखाव अनिवार्य है, जिसकी अंतिम जिम्मेवारी ग्राम पंचायत ले या ग्राम स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करे।

❖ उपयोगकर्त्ता परिवारों से साफ–सफाई तथा रख–रखाव के लिए एक उचित मासिक उपयोग शुल्क जमा करने को कहा जा सकता है। सामुदायिक परिसर के लिए निर्धारित अधिकतम इकाई लागत दो लाख रुपये तक है।

❖ प्रशासनिक व्यय : यह TSC के क्रियान्वयन के लिए सहायता लागत है। यह सुनिश्चित करता है कि टी.एस.सी. का क्रियान्वयन अभियान के रूप में करना है। जिला स्तर पर जिला स्वच्छता इकाई स्थापित करने का प्रावधान है। जिला स्वच्छता इकाई में एक जिला संयोजक और एक से ज्यादा प्रखण्ड संयोजक होते हैं, जो जिले में एक या ज्यादा प्रखण्डों की देखरेख करते हैं। क्रियान्वयन, प्रोत्साहन राशि और लागत वितरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए 'दिशा निर्देश केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम – सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान जून 2010' से सलाह लें।

   ❍ टी.एस.सी. की सफलता की कुंजी जिला स्वच्छता इकाई की सक्षमता तथा ऊर्जा में निहित है। जिला स्वच्छता इकाई के कर्मचारी कार्यक्रम के लिए अन्य विभागों से सम्पर्क बनाएंगे और जिले के सभी भागीदारों से तालमेल बिठाएंगे। इनका पुनःअवलोकन करना पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

   ❍ क्या जिला स्वच्छता इकाई का गठन किया जा चुका है? क्या इसमें कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है?

   ❍ क्या जिला स्वच्छता इकाई के अधिकारियों ने जिले के लिए आई.ई.सी. योजना बनाई है और प्रत्येक गतिविधि के लिए राशि का आवंटन किया है?

   ❍ क्या आई.ई.सी. योजना का निष्पादन अन्य सहभागियों जैसे एन.आर.एच.एम., एस.एस.ए. और आई.सी.डी.एस. को शामिल करते हुए उचित रूप में हुआ है?

   ❍ क्या आई.ई.सी. कार्यों के लिए पुनः अवलोकन हेतु निगरानी तंत्र है? वी.डब्ल्यू.एस.सी. और वी.एच.एस.सी. का आपस में मिलना?

   ❍ क्या प्रत्येक गाँव में तीन से चार प्रशिक्षित राजमिस्त्री हैं, क्या राजमिस्त्री के पास स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए तकनीकी रेखा चित्र उपलब्ध हैं?

   ❍ क्या निर्माण की गुणवत्ता और विस्तार की प्रगति के पुनः अवलोकन के लिए निगरानी तंत्र है?

   ❍ क्या जिला स्वच्छता इकाई के अधिकारी क्षेत्र में जाकर मांग के उत्पन्न होने और आपूर्ति श्रृखंला के प्रत्येक पहलू का पुनः अवलोकन करते हैं?

यदि ऊपर बताए गए कार्य नहीं हो रहे हैं, तब इस पर जिला जल तथा स्वच्छता मिशन में विचार किए जाने की आवश्यकता है।

पंचायत सदस्यों के लिए निगरानी ढांचा

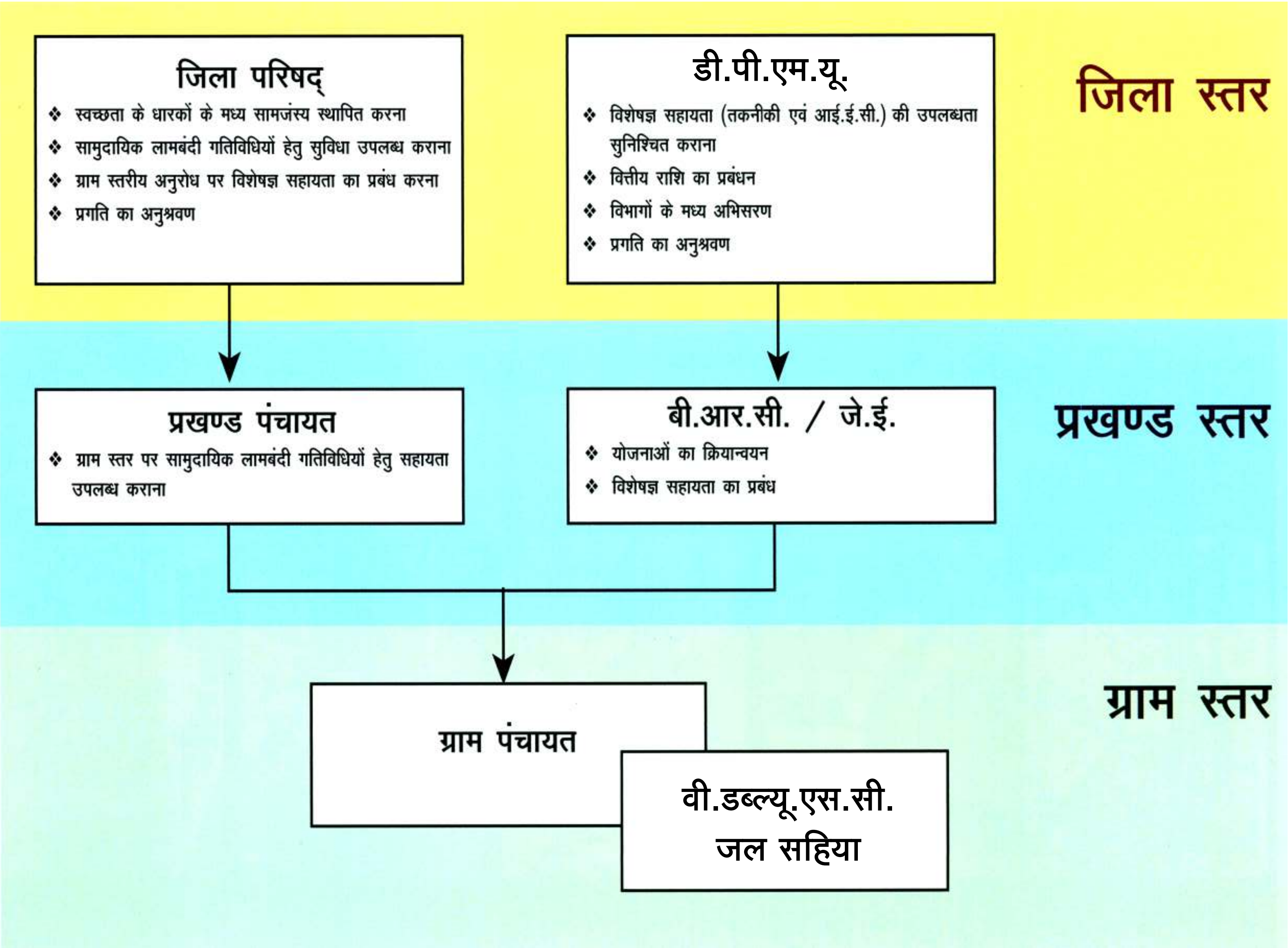

स्वच्छ शौचालय के निर्माण की रूपरेखा

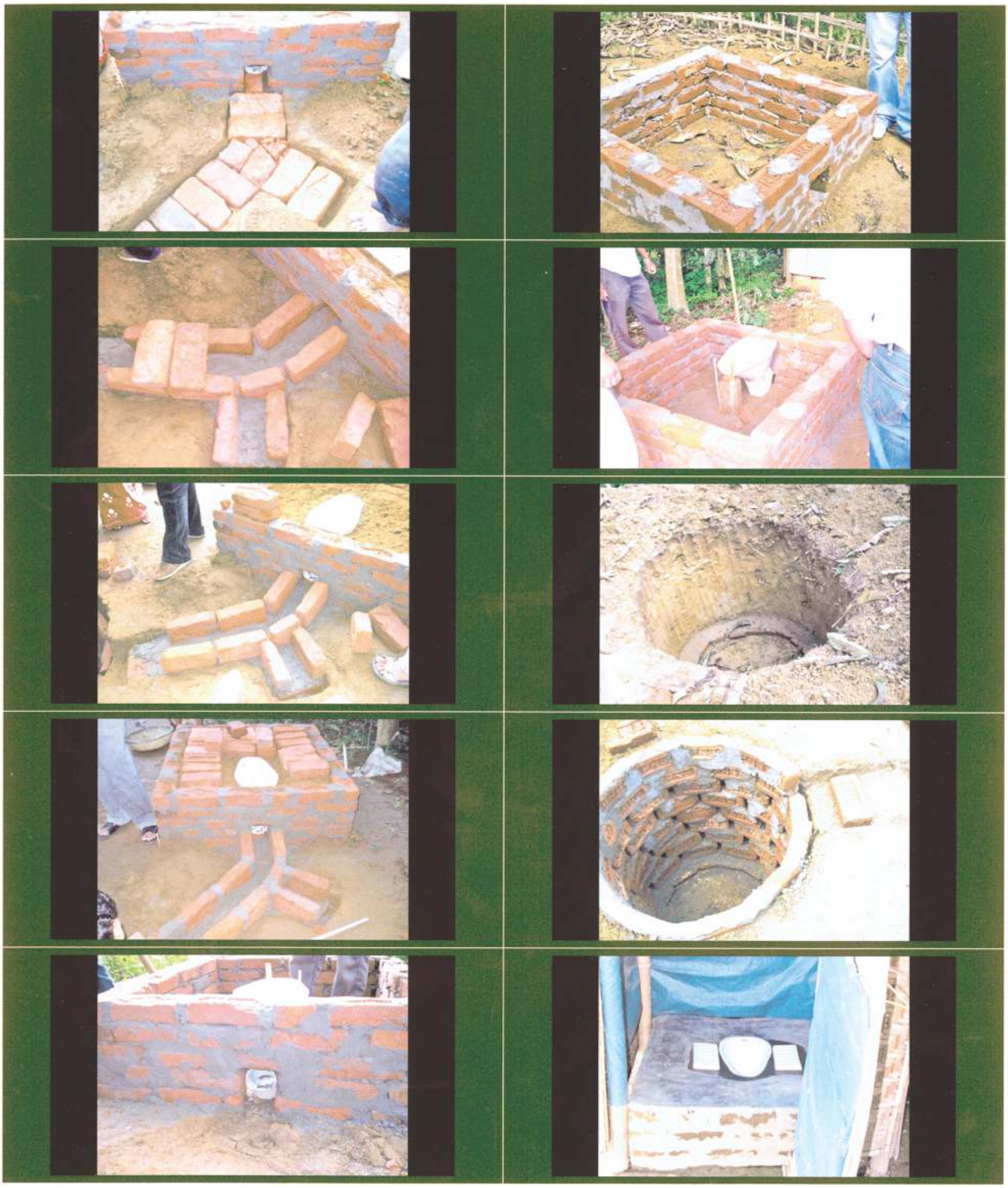

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. स्वच्छ शौचालय क्या है ?

खुले में मलत्याग से मनुष्य मलमूत्र के संपर्क में आता है, जो मलजनित बीमारियों को जन्म देता है। संक्रमण– जल, हाथ, मक्खियों या मिट्टी के रास्ते हो सकते हैं। मलजनित रोग चक्र की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय स्वच्छता अवरोध उत्पन्न करना है और मलमूत्र को वातावरण से अलग रखना है।

स्वच्छ शौचालय मलमूत्र को एक ढके हुए गड्ढे (वायुरूद्ध) में निपटाने का साधन है और मल को मानव सम्पर्क (किसी भी वाहक के द्वारा वायु, जल, हाथ इत्यादि) में आने से रोकने के लिए स्वच्छता अवरोध (जल अवरोध) उत्पन्न करता है।

अतः स्वच्छ शौचालय के घटक हैं :

- ग्रामीण पैन जल अवरोध के साथ
- एक जंक्शन बॉक्स, जो पैन को गड्ढे से जोड़ता है
- विक्षालन (घुल कर बहना/बाहर निकल जाना) युक्त गड्ढा जिसमें ईट लाइनिंग और ढक्कन है।

वायुरूद्ध विक्षालन युक्त गड्ढे में एकत्र मल जैविक खाद्य में परिवर्तित हो जाती है।

2. स्वच्छ शौचालय की रूपरेखा क्या है ?

मूल रूपरेखा इस प्रकार है : प्लिंथ 115 एमएम मोटी ईंटों से बनाया जाता है प्लिंथ की ऊँचाई 450 एमएम होती है। पैन को सीमेंट कंक्रीट के 50 एमएम मोटे चबूतरे, जिसका आकार सामान्यतः 1000 एमएम व्यास वाला गोलाकार या 1000 एमएम × 1200 एमएम आयताकार स्लैब होता है, पर रखा जाता है। शौचालय के गड्ढे हमेशा ही भूमिगत होते हैं (देखे पृष्ठ 16)। गड्ढे के चयन के अनुसार अनेक विकल्प होते हैं :

- सरल गड्ढा वाला जल अवरोध शौचालय
- द्विप्रशाखा गड्ढे वाला जल अवरोध शौचालय
- एक प्रशाखा गड्ढेवाला जल अवरोध शौचालय

प्रशाखा गड्ढे का अर्थ है, प्लिंथ पर स्लैब तथा पैन हो तथा गड्ढे को पीछे की ओर बनाया जाता है। गड्ढे की लाइनिंग में छिद्रयुक्त दीवार वाले छल्ले के आरसीसी छल्ले या 75 एमएम जालीदार ईट की दीवार (मधुमक्खी के छत्ते देखें अनुलग्नक) (तकनीकी रेखाचित्र), अधिरचना (ऊपरीढाँचा), उपयोगकर्त्ता की पसंद तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए –

- जूट से बनी ऊपरी संरचना
- ईंट से बनी ऊपरी संरचना
- प्लास्टिक से बनी ऊपरी संरचना
- लकड़ी बांस से बनी ऊपरी संरचना

3. कहा जाता है कि कम लागत वाले शौचालय के गड्ढों की गहराई और व्यास क्रमशः 4 फीट और 3 फीट होती है, यदि गड्ढे की गहराई बढ़ा दी जाए तो यह ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है। गहराई बढ़ाने के क्या मुश्किलें आ सकती हैं। कितनी अवधि तक परिवार के कितने सदस्य शौचालय का उपयोग कर सकते हैं?

सामान्यतः 4–5 वर्ष में वयस्क और बच्चे मिलाकर परिवार के 6 से 8 सदस्यों का मल से गड्ढा भर जाता है। प्रथम गड्ढा के भर जाने के पश्चात् दूसरे गड्ढे का प्रवेश मार्ग खोल देना चाहिए और इसके बाद भरे गड्ढे का प्रवेश मार्ग बंद कर दिया जाना चाहिए। लगभग 12 महीने के पश्चात भरे हुए गड्ढे का ढक्कन खोला जाना चाहिए। उस वक्त हमें सूखा गंध रहित और जीवाणु रहित खाद प्राप्त होगा। यह एक उत्तम जैव खाद्य होता है। जिसे हम सुनहले खाद का नाम दे सकते हैं। इस खाद को हम एक गड्ढे से निकाल सकते हैं। अब दूसरे गड्ढे में मल को भरने में 4–5 वर्ष का समय लगेगा। दूसरे गड्ढे के भरने के पश्चात पहले गड्ढे का प्रवेश मार्ग पुनः खोल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार एक शौचालय के दो गड्ढों को वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त गड्ढे की गहराई बढ़ाकर हम भूमिगत जल को दूषित कर सकते हैं, जिससे आसपास के कुएं या तालाब का जल दूषित हो सकता है।

4. यह देखा जाता है कि गड्ढे से निकासनली/गैसनली नहीं जुड़ा होता है। गड्ढे सीमेंट के ढक्कन से ढके रहते हैं। क्या गड्ढे से उत्पन्न होने वाला वायु दाब गड्ढे की दीवार या ढक्कन को नुकसान पहुँचा सकता है?

निकासनली/गैसनली विक्षालन युक्त गड्ढे वाले स्वच्छ शौचालय के लिए आवश्यक नहीं है। आपने गौर किया होगा कि सेप्टिक टंकी वाले शौचालयों में गैस नली होती है, जिससे होकर गैस निकल जाती है। सेप्टिक टंकी बंद डब्बे के आकार वाली टंकी होती है। लेकिन विक्षालन युक्त गड्ढे की रूपरेखा इस तरह तैयार की जाती है कि गड्ढे के अंदर उत्पन्न होने वाली गैस का निकास भूमिगत मिट्टी में हो सके। शौचालय के गड्ढे की ईंट वाली दीवार मधुमक्खी के छत्ते की तरह छिद्रयुक्त होती है, इन छिद्रों से गैस का निकास मिट्टी में होता है। इस तकनीक की वजह से इन शौचालयों को गैसनली की आवश्यकता नहीं होती है और गड्ढे की दीवार तथा ढक्कन में वायु दबाव के द्वारा दरार पड़ने की संभावना नहीं होती है। पुनः इन गड्ढों के अंदर सूक्ष्म जीवाणु ऑक्सीजन का पाचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप काफी कम मात्रा में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। जो भी गैस बनती है, उसका निकास गड्ढे की दीवार की छिद्रों से हो जाता है और यह मिट्टी में सोख ली जाती है।

5. गड्ढे की दीवार में छिद्र होते हैं। क्या बरसात के मौसम में भूमिगत जल गड्ढे में जा सकता है?

बरसात के मौसम में भूमिगत जल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ता है इसी के साथ गड्ढे का जलस्तर भी बढ़ते जाता है। जब भूमिगत जल का स्तर घटता है, गड्ढे के अंदर का जलस्तर भी घटता है। अतः स्वच्छ शौचालयों का काम बाधित होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि यदि शौचालय बाढ़ के जल में डूब जाए, तब यह कार्य नहीं करेगा, इसलिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय ऊँची जगह बनाई जाती है।

6. क्या गड्ढे की 3 इंच मोटी दीवार टिकाऊ होगी? क्या मिट्टी की दबाव गड्ढे की दीवार को तोड़ डालेगा?

गड्ढे की मोटी दीवार के टूटने या इसमें दरार पड़ने की कोई वजह नहीं है इसके अलावे गोलाकार दीवारें अधिक मात्रा में दबाव झेल सकती है और ज्यादा टिकाऊ होती है। दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में इन शौचालयों का उपयोग हो रहा है और ये समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। सामान्यतः दीवार के निर्माण के दौरान दीवार पर पड़ने वाले संभावित दबाव का अनुमान

दीवार की मोटाई से लगाया जाता है। प्रशाखा वाले शौचालय में जहाँ गड्ढे का निर्माण पैन के पीछे होता है, भूमिगत गड्ढे की दीवार में वस्तुतः कोई वजन नहीं रहता है, इसलिए इन दीवारों के टूटने या दरार पड़ने की संभावना नहीं है।

7. यदि 8 से 10 व्यक्ति शौचालय के पैन में पानी डालेंगे तो क्या यह पानी से भर जाएगा?

नहीं, यह पानी से नहीं भरेगा। इन शौचालयों के गड्ढों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि गड्ढे प्रतिदिन 60 से 70 लीटर पानी सोख सकते हैं। अतः यदि परिवार सदस्य पैन में 5–6 लीटर पानी डालता है, तब भी गड्ढा पानी से नहीं भरेगा। यह अनुभव किया गया है कि 18 से 20 व्यक्तियों द्वारा उपयोग के बाद भी ये गड्ढे लबालब नहीं हुए। विशेष प्रकार के पैन (ग्रामीण पैन) का उपयोग होने के कारण सफाई के दौरान 1–1½ लीटर पानी पर्याप्त है।

8. यह सुना गया है कि कई स्थानों में 4–5 फीट की गहराई खोदने के बाद काली मिट्टी पायी जाती है स्थानीय लोग कहते हैं कि इस प्रकार की मिट्टी में सोखने की क्षमता निम्नतम होती है। इस परिस्थिति में क्या हम परियोजना का मॉडल शौचालय बना सकते है?

सभी प्रकार की मिट्टी में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, काली मिट्टी में भी ऐसे छिद्र होते हैं लेकिन सामान्य मिट्टी के छिद्रों की तुलना में काली मिट्टी के छिद्र छोटे होते हैं। इस प्रकार काली मिट्टी भी पानी सोख सकती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में। तथापि परियोजना शौचालयों में पानी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी के क्षेत्रों में इन शौचालयों के निर्माण में कोई मुश्किल नहीं है। काली मिट्टी भी आसानी से पानी सोख सकती है।

9. समुदाय द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुंओं या कम गहराई वाले ट्यूबवेल से इन शौचालयों के निर्माण में कितनी दूरी बरती जानी चाहिए ?

सामान्यतः सूक्ष्म जीवाणु धरती के नीचे 10 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं।

यह देखा गया है कि यदि मिट्टी के अंदर द्रविक अनुपात की मात्रा प्रत्येक 100 फीट में 1 फुट से कम हो और यदि मिट्टी के कणों का आकार 0.02 मिलीमीटर से अधिक न हो, तो सूक्ष्म जीवाणु एक दिन में एक मीटर से अधिक की दूरी तय नहीं कर सकते हैं। इस परिस्थिति में इन शौचालयों के निर्माण में जल स्रोत जैसे कुंआ या कम गहराई वाले ट्यूबवेल या तालाब से कम से कम 10 मीटर या 30 फीट की दूरी बरतनी चाहिए।

10. क्या विक्षालन वाला गड्ढा टूट जायेगा यदि उकड़ू बैठने वाले प्लेट का प्रयोग करते हुए गड्ढे के ऊपर शौचालय का निर्माण किया जाए?

नहीं, यह नहीं टूटेगा, क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार के शौचालयों का निर्माण पहाड़ी और कड़ी मिट्टी पर होता है। इसके अलावा इन शौचालयों के गड्ढे गोलाकार और छिछले होते हैं और सारे किनारों पर ईंट या पत्थर की चिनाई रहती है।

11. शौचालय के विभिन्न मॉडलों का टिकाऊपन क्या है?

सामान्यतः ईंट या सीमेंट के छल्लों से निर्मित शौचालय 20 वर्षों तक टिकते हैं। ईंट के दीवारों से बनी अधिरचना भी 15–20 वर्षों तक टिकी रहती है। जबकि शौचालयों का टिकाऊपन, मुख्य तौर पर उपयुक्त प्रयोग तथा नियमित रख–रखाव पर निर्भर करता है।

12. क्या उकड़ू बैठने वाले प्लेट के अंदर तार की लाल हो जाएगी या लोहा छल्ले या गड्ढे के ढक्कन कुछ दिनों बाद क्षतिग्रस्त हो जाएंगे?

लोहा या तार की जाली कई प्रकार के शौचालयों के सीमेंट के छल्लों या प्लेट में इस्तेमाल की जाती है। इन छल्लों या प्लेटों को विशेष तौर पर बनाया जाता है, जिसमें संबलन के दोनों सिरों पर समुचित रूप से कंक्रीट का आवरण दिया जाता है, जिसकी वजह से यदि इसे जमीन के अंदर भी रखा जाए फिर भी अंदर के लोहे में जंग नहीं लगती है।

13. जहाँ धरती के अंदर कंकड़ पाया जाता है, क्या वहाँ इस प्रकार का शौचालय बनाया जा सकता है?

यदि कंकड़ की तह शौचालय के सबसे निचले स्तर से पाँच छह फीट नीचे है, यह किसी प्रकार की मुश्किल नहीं खड़ी करेगी और यदि मिट्टी पानी सोख सकती है, तो आप बेझिझक शौचालय का निर्माण कर सकते हैं।

14. यदि पैन, ट्रैप या मलवाहक नली अवरूद्ध हो जाए तो हम किस प्रकार शौचालय की सफाई करें?

सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पैन में कोई कड़ा पदार्थ जैसे पत्थर, ईट या लकड़ी का टुकड़ा फंसा तो नहीं है। यदि पैन के नजदीक कोई कड़ा पदार्थ है, तब हमें इसे पैन के मुँह से बाहर निकालना होगा। यदि वस्तु ट्रैप या मलवाहक नली के अंदर फंसी हो तब हमें इसे जंक्शन बॉक्स के ढक्कन को खोलकर बाहर निकालना होगा, कागज, कपड़े का टुकड़ा, रूई की स्थिति में भी यही तरीका अपनाया जा सकता है अंत में हमें शौचालय के पैन में पानी डालकर यह निश्चित करना होता है कि जल अवरोध सही तरीके से काम कर रहा है।

15. सेप्टिक टैंक की तुलना में विक्षालन वाले गड्ढे के क्या फायदे हैं?

लाभ इस प्रकार है :

- ग्रामीण क्षेत्रों में विक्षालन वाले गड्ढे ज्यादा वैज्ञानिक विकल्प हैं, सेप्टिक टैंक शहरी क्षेत्रों में जहाँ भूमिगत मल निकास तंत्र है, ज्यादा उपयुक्त है।
- भूमिगत मल निकास तंत्र के अभाव में सेप्टिक टैंक को हाथों से साफ करना होता है जैसा कि बताया जा चुका है। प्रत्येक विक्षालन वाले गड्ढे में मल खाद में बदला जा सकता है।
- सेप्टिक टंकी में निकास नहीं होती है और वे गंध देती है। विक्षालन वाले गड्ढे में गैस गड्ढे की दीवार से विक्षालित होकर भूमिगत मिट्टी द्वारा सोख ली जाती है, अतः गंधविहीन होती है।
- निःसंदेह विक्षालन वाला गड्ढा कम खर्चीला होता है और इसके लिए कम जगह की आवश्यकता होती है।
- विक्षालन वाले गड्ढे युक्त शौचालयों को कम पानी की आवश्यकता होती है। सेप्टिक टैंक में बहाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है।

16. क्या हम शौचालय के नजदीक स्नानागार बना सकते हैं?

हाँ, निःसंदेह इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपको सिर्फ गंदे जल के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण करना है। इसके अलावा शौचालय के साथ स्नानागार का निर्माण करने से खर्च कम पड़ता है।

अनुमानित व्यय

A. प्लिंथ स्तर तक आधारभूत संरचना	=	2500.00
B. अधिरचना	=	500.00
कुल	=	3000.00

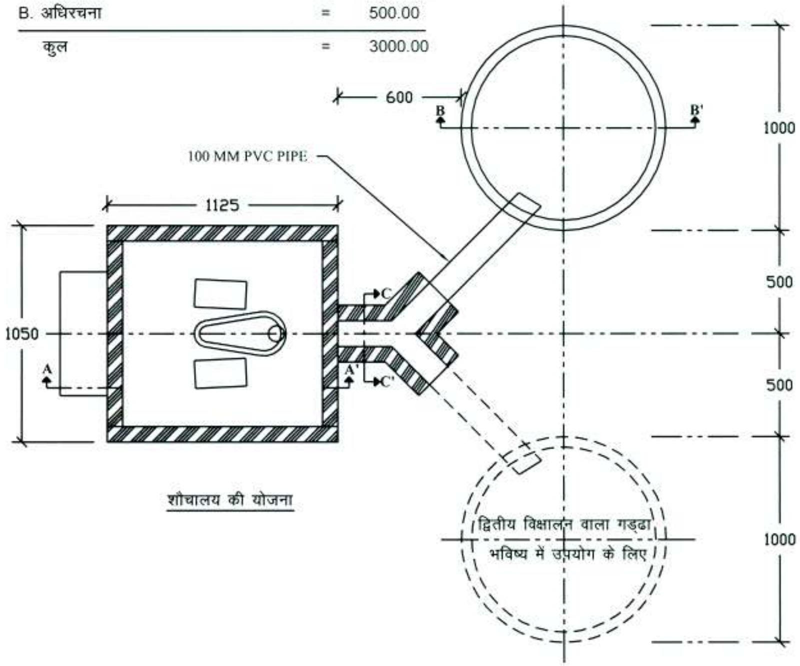

चित्र 1

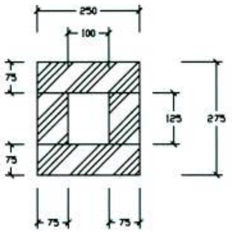

SECTION C-C'
चित्र 2

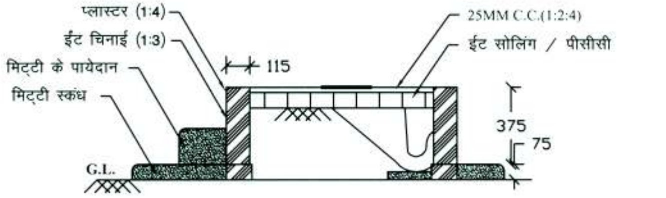

SECTION A-A'
चित्र 3

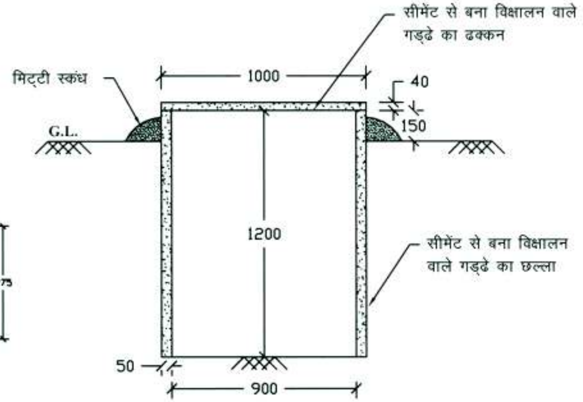

SECTION B-B'
चित्र 4

विशेष : सभी आयाम एमएम में हैं।

MODEL : A

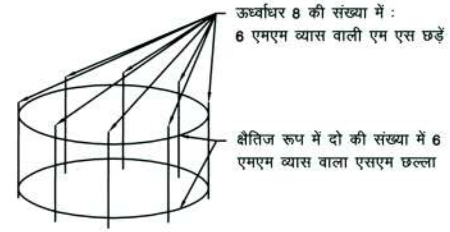

आर.सी.सी. छल्ले का संबलन विवरण

FIG: 5

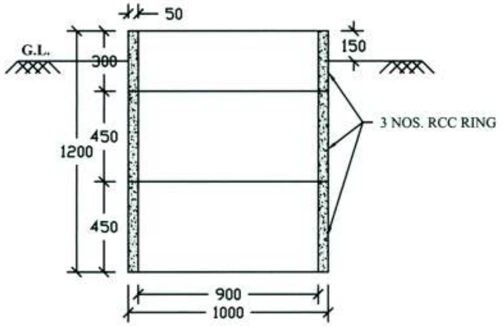

ऊर्ध्वाधर हिस्सा

चित्र 6

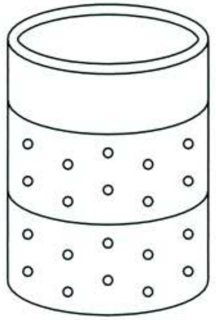

विक्षालन वाले गड्ढे का विवरण

चित्र 7

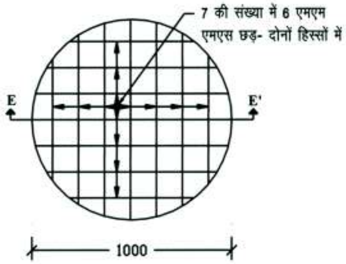

आरसीसी से बने विक्षालन वाले गड्ढे का संबलन विवरण

चित्र 8

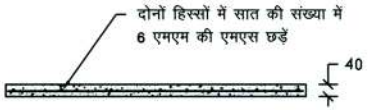

SECTION E-E'

विक्षालन वाले गड्ढे का ढक्कन

चित्र 9

जंक्शन बॉक्स की योजना

चित्र 10

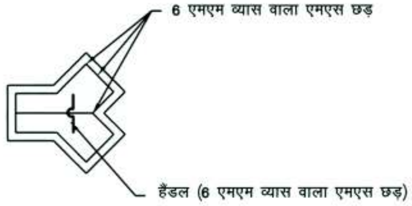

जंक्शन बॉक्स के ढक्कन का विवरण

THICKNESS= 40MM

चित्र 11

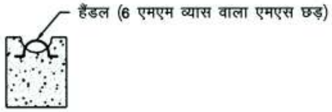

सीसी खंड

(100X100X125)

चित्र 12

विशेष : सभी आयाम एमएम में हैं।

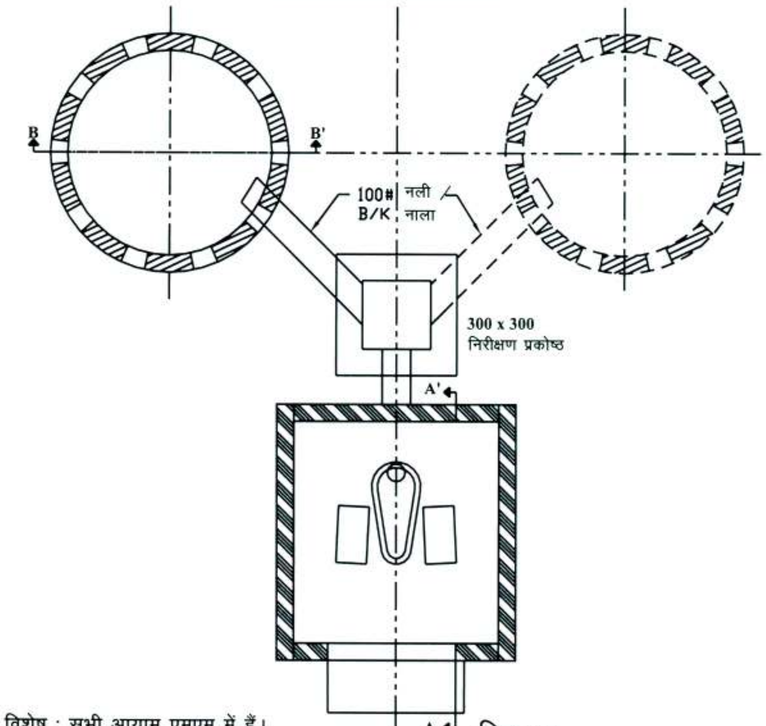

विशेष : सभी आयाम एमएम में हैं।

चित्र 13

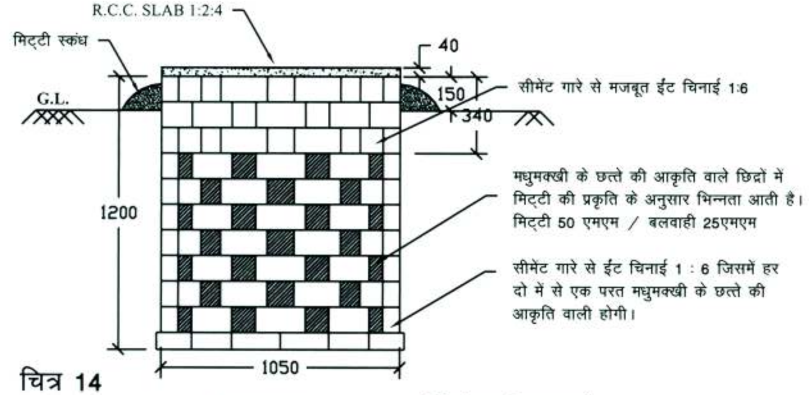

चित्र 14

SIDE VIEW

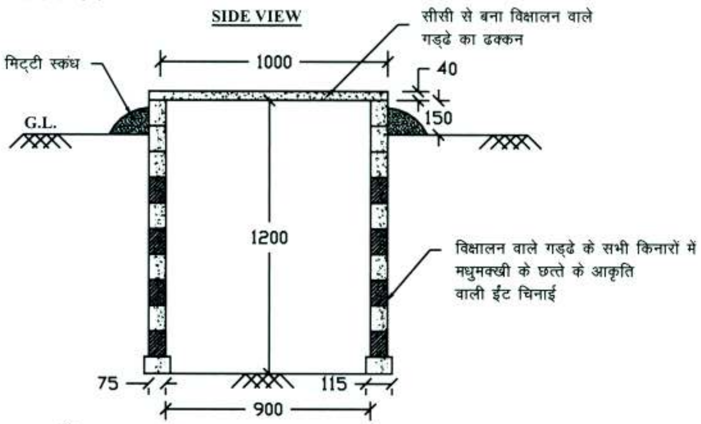

चित्र 15

SECTION B-B'

MODEL : B

Note :

Note :

Note :

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

राँची, झारखण्ड

इस पुस्तिका पर आपके सुझाव और टिप्पणियों का स्वागत है। कृपया आप इन्हें इस पते पर भेजें :

निदेशक – प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, स्टेट वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन
झारखण्ड सरकार, राँची।